

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर मध्यप्रदेश
-:विविध संशोधन आदेश:-

क्रमांक 160/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./सां.अनु./19

ग्वालियर, दिनांक 21-11-2023

रजिस्ट्री, जबलपुर के आदेश क्र.-852/Confdl./2023/II-2-33/57 (Pt.-20) dated 29-09-2023 के द्वारा श्री समीर कुलश्रेष्ठ, नवम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर का स्थानांतरण परिवार न्यायालय, भोपाल हो जाने एवं उनके स्थान पर रजिस्ट्री जबलपुर के आदेश क्र.-1014/Confdl./2023/II-2-1/2023 dated 07-11-2023 के द्वारा श्री अरविन्द प्रताप सिंह चौहान की पदस्थापना नवम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के पद पर किये जाने के कारण, प्रशासनिक कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन विविध आदेश क्र.-124/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 08.09.2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 10 पर अंकित सरल क्र. 11 की कॉलम क्र. 02 में अंकित श्री समीर कुलश्रेष्ठ शब्द विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर श्री अरविन्द प्रताप सिंह चौहान शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 11 पर अंकित सरल क्र. 11 (अ) के कॉलम क्र. 02 में अंकित श्री समीर कुलश्रेष्ठ शब्द विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर श्री अरविन्द प्रताप सिंह चौहान शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।

उक्त संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जावेगा।

2862

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

पृष्ठांकन क्रमांक /एक-11-1/कार्य विभा.नस्ती/सां.अनु./19 ग्वालियर, दिनांक 21/11/23
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-ग्वालियर
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त न्यायिक अधिकारी ग्वालियर/डबरा/भितरवार को ई-मेल में माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री अरविन्द प्रताप सिंह चौहान, नवम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
6. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग काउंटर/पूछताछ केन्द्र, ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, ग्वालियर/डबरा
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जे.एस.ए. कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय-ग्वालियर
की ओर उपरोक्तानुसार ई-मेल की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायालय ग्वालियर।
10. ऑफिस मोहररि, जिला न्यायालय ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर